



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032022-234428
CG-DL-E-24032022-234428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1253]
No. 1253]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1295(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5345(अ) तारीख 23.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 137.285 (रत्नागिरी-कोल्हापूर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.01.2022 " को "दैनिक प्रहार " (मराठी) और तारीख "22.01.2022 " को "दैनिक गोवा टाइम्स " (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.137.285 (रत्नागिरी-कोल्हापूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रत्नागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: संगमेश्वर				
	गांव का नाम: दभोले				
1	94 / 1+3/A Part	निजी	कृषिक	1.4005	चंद्रभागा तुकाराम पवार, शांताराम तानु पोवार, संतोष भिवा पोवार, बाळकृष्ण भिवा पवार, रामचंद्र राजाराम पवार, शंकर बाबाजी पवार, दिनकर बाबाजी पवार, जयराम बाबाजी पवार, सुमित्रा कृष्णा राईन, सरस्वती गणपत पांगार, सुनंदा राजाराम पोवार, गंगाराम तानु पोवार, सिताराम तानु पोवार, दत्ताराम तानु पोवार, रंजना तानु पोवार, बनीबाई तानु पोवार, चंद्राबाई गो. बांडागळे, जयवंती ज. पंदेरे, मंगेश सखाराम पोवार, महेश सखाराम पोवार, मनिषा सखाराम करंजवकर, लक्ष्मीबाई सखाराम पोवार, सदाशिव भिवा पवार, गणपत राजाराम पवार, सुरेश तुकाराम पवार, सुर्यकांत तुकाराम पवार, चंद्रकांत तुकाराम पवार, वासंती गंगाराम बांडागळे, सुगंधा यशवंत कोटकर, स्वाती राजाराम बोबडे, सविता महादेव वाजे, सुलभा तुकाराम पवार, शोभा तुकाराम पवार, यशवंत सखाराम पवार, सुरेश सखाराम पवार, अनिल सखाराम पवार, जयश्री सखाराम पवार, रुक्मीणी सखाराम पवार, लक्ष्मीबाई सखाराम पवार, महेश सखाराम पवार, मंगेश सखाराम पवार, मनिषा संजय करंजकर, जयवंती जयराम पंदेरे, राजेंद्र गोविंद बांडागळे, सुनिल गोविंद बांडागळे, शुभांगी किशोर चाळके ()
			कुल	1.4005	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2022

SO. 1295(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No.5345(E), dtd 23.12.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-166 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 137.285 (Ratnagiri - Kolhapur Section) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Prahar” (Marathi) on dtd 23.01.2022 and “Daily Gao Times” (English) dated 22.01.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km.137.285 (Ratnagiri-Kolhapur Section) of NH-166 in the district of RATNAGIRI in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sangameshwar				
	Village: Dabhole				
1	94 / 1+3/A Part	Private	Agricultural	1.4005	Chandrabhaga Tukaram Pawar, Shantaram Tanu Powar, Santosh Bhiva Powar, Balkrishna Bhiva Pawar, Ramchandra Rajaram Pawar, Shankar Babaji Pawar, Dinkar Babaji Pawar, Jayram Babaji Pawar, Sumitra Krishna Rain, Sarswati Ganpat Pangar, Sunanda Rajaram Powar, Gangaram Tanu Powar, Sitaram Tanu Powar, Dattaram Tanu Powar, Ranjana Tanu Powar, Banibai Tanu Powar, Chandrabai G. Bandagale, Jayvanti J. Pandere, Mangesh Sakharan Powar, Mahesh

					Sakharam Powar, Manisha Sakharam Karanjavkar, Laxmibai Sakharam Powar, Sadashiv Bhiva Pawar, Ganpat Rajaram Pawar, Suresh Tukaram Pawar, Suryakant Tukaram Pawar, Chandrakant Tukaram Pawar, Vasanti Ganagaram Bandagale, Sugandha Yashwant Kotkar, Swati Rajaram Bobade, Savita Mahadev Vaje, Sulbha Tukaram Pawar, Shobha Tukaram Pawar, Yashwant Sakharam Pawar, Suresh Sakharam Pawar, Anil Sakharam Pawar, Jayshree Sakharam Pawar, Rukmini Sakharam Pawar, Laxmibai Sakharam Pawar, Mahesh Sakharam Pawar, Mangesh Sakharam Pawar, Manisha Sanjay Karanjkar, Jayvanti Jayram Pandere, Rajendra Govind Bandagale, Sunil Govind Bandagale, Shubhangi Kishor Chalke
			TOTAL	1.4005	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

RAJESH GUPTA, Director